

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/गो.प्र./शाला दर्पण/ACP/M/2020-21

दिनांक-14.12.2020

—:वीडियो कॉन्फ्रेंस सूचना:—

दिनांक 18.12.2020 को दोपहर 1.00 बजे से 2.00 बजे तक जिला एवं ब्लॉक स्तरीय DoIT&C के माध्यम से निदेशक महोदय की अध्यक्षता में अंग्राकित एजेण्डा बिन्दुओं के संबंध में वीसी का आयोजन किया जाएगा।

विचारणीय विषय:—

- नवीन APAR चैनल एवं इसके दिशा-निर्देश (परिपत्र दिनांक 23.11.2020) पर चर्चा।
- कार्यालयों में APAR के रखरखाव के संबंध में (पत्रांक दि.- 10.12.2020)।
- प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष पदों पर कार्यरत लोकसेवकों की गत वर्षों की बकाया APAR (पत्रांक दि.-01.12.20)।
- प्रधानाचार्य एवं समकक्ष पदों पर कार्यरत लोकसेवकों की गत वर्षों की बकाया APAR।
- एसीपी प्रकरण में बकाया APAR के संबंध में (पत्रांक दि. - 09.11.20)।
- प्रस्तावित विभिन्न सवंगों की डीपीसी में वांछित APAR के संबंध में (पत्रांक दि.-11.12.20)।

संभागी एवं बैठक व्यवस्था:—

वीसी में निम्नांकित अधिकारीगण APAR कार्य के प्रभारी अधिकारी एवं लिपिक के साथ पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित रहेंगे :-

क्र.स.	संभागी	बैठक व्यवस्था
1	समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।	संबंधित जिला कार्यालय DoIT&C
2	समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।	संबंधित जिला कार्यालय DoIT&C
3	समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक/माध्यमिक	संबंधित जिला कार्यालय DoIT&C
4	समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।	संबंधित ब्लॉक कार्यालय DoIT&C

समस्त संभागी दिनांक 23.11.2020 को जारी APAR परिपत्र का अध्ययन कर वीसी में उपस्थित होंगे।

www.rajsevak.com

(श्याम सुन्दर सोलंकी)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/गो.प्र./शाला दर्पण/ACP/M/2020-21

दिनांक 14.12.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रति देकर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार में समस्त अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चितता का प्रबोधन करते हुए समस्त संभागियों की उपस्थिति समेकित कर वीसी के दौरान चाहे जाने पर देंगे।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक/माध्यमिक।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को DoIT&C से समुचित समन्वयन कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु।
6. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)